अनुसरण में कथित संयुक्त समिति के लिए राज्य सभा से निम्नलिखित सदस्य विधिवत निर्वाचित हुए हैं :

(1) श्री अलादी अरुण उर्फ वी० अरुणाचलम

(2) श्री दरबारा सिंह

(3) श्री एच० हनुमनतप्पा

(4) श्री मिर्जा इर्शादबेग

(5) श्रीमती कैलाशपति

(6) श्रीमती जयन्ती नटराजन

(7) श्री तन्गबालू

(8) श्री थामस कुत्तिरवट्टम

(9) श्री बी० वी० अब्दुल्ला कोया

(10) श्री गुलाम रसूल मट्टू

अंतर्राष्ट्रीय समुद्र-संस्तर प्राधिकरण के लिए विरचन आयोग द्वारा भारत को मध्य हिन्द महासागर में खनन क्षेत्र आवंटित किए जाने के बारे में वक्तव्य

[अनुवाद]

प्रधान मंत्री (श्री राजीव गांधी) : मैं इस सदन को हमारी आजादी के 40वीं जयन्ती समारोहों के दौरान की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि की सूचना देने के लिए उठा हूं। 17 अगस्त, 1987 को हमने अपने देश के लिए एक अद्वितीय प्रतिष्ठा प्राप्त की है। संयुक्त राष्ट्र की एक संस्था—अन्तर्राष्ट्रीय समुद्र संस्तर प्राधिकरण के लिए विरचन आयोग (प्रेपकॉम) के द्वारा मध्य हिन्द महासागर में एक खान स्थल के पंजीकरण और आबंटन के लिये हमारे आवेदन-पत्र को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया है।

माननीय सदस्यों को याद होगा कि समुद्र विधि पर संयुक्त राष्ट्र के तृतीय सम्मेलन ने समुद्र तल सर्वेक्षणों, अनुसंधान और विकास में उनकी उपलब्धियों को स्वीकारते हुए गहरे समुद्र तल खोज में भारत को तीन अन्य देशों के साथ अग्रणी दर्जा प्रदान किया था। भारत ही मान्यता प्रदान किया जाने वाला एकमात्र विकासशील देश है। यह एक महत्वपूर्ण युगांतरकारी घटना है।

अन्य देशों की अपेक्षा सबसे पहले और जल्दी भारत के दावे को पंजीकृत करने तथा आगे खोज और विकास के लिये 1,50,000 (एक लाख पचास हजार) वर्ग किलोमीटर के एक क्षेत्र

का आवंटन करने का "प्रेपकॉम" का निर्णय एक और युगांतरकारी घटना है। यह निर्णय गहरे समुद्र तल के उन संसाधनों की खोज करने और विकसित करने का हमें हकदार बनाता है जिनमें बहुधात्विक पिंडिकाओं के प्रचुर भण्डार निहित हैं और जो तांबा, कोबाल्ट, निकेल तथा मेंगनीज जैसे महत्वपूर्ण खनिजों का एक स्रोत हैं। तथापि, इन संसाधनों का वाणिज्यिक विदोहन हमारे द्वारा यथेष्ठ प्रौद्योगिकी विकसित कर लिए जाने के पश्चात् तथा समुद्र विधि पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के लागू होने के बाद ही भविष्य में होगा।

यह अत्यन्त प्रसन्नता का विषय है कि विरचन आयोग ने दृढ़ निश्चय किया है कि अन्य राज्यों नामशः फ्रांस, जापान और रूस के उसी तरह के दावों को इस वर्ष के अन्त तक पंजीकृत कर लिया जायेगा। इससे महासागर के स्थान के लिये नई कानूनी शासन प्रणाली में विकसित और विकासशील देशों की व्यापक भागीदारी के लिए मार्ग प्रशस्त होगा।

गहरे समुद्र तल खान स्थल के लिए हमारे दावे का पंजीकरण, वास्तव में देशी वैज्ञानिक क्षमताओं और उपलब्धियों का एक साकार लक्षण है। आत्म-निर्भरता की हमारी तलाश में यह एक और सफलता है।

मुझे विश्वास है कि यह सदन हमारे उन वैज्ञानिकों और इन्जीनियरों द्वारा किये गये उत्कृष्ट कार्य के लिए हमारी सराहना को रिकार्ड में रखने के लिये सहमति प्रदान करेगा, जिन्होंने सागर के रहस्यों को सुलझाने के लिए विज्ञान की नई सीमाओं की खोज करने के चुनौतीपूर्ण कार्य को आगे बढ़ाया है।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, मैंने एक स्थगन सूचना दी है। ऑल इण्डिया पियरलेस एम्पलाईज एसोसिएशन के झंडे के नीचे सैंकड़ों पियरलेस इंश्योरेंस कर्मचारी आज दिल्ली में जमा होकर धरना दे रहे हैं। उनकी यह मांग है कि दो करोड़ प्रमाणपत्रकारियों तथा हजारों कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए पियरलेस कम्पनी का राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : यह स्थगन प्रस्ताव का मामला नहीं है। आप इसे किसी दूसरे रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं।

श्री बसुदेव आचार्य : वित्त मंत्री श्री तिवारी यहां उपस्थित हैं, वह वक्तव्य दे सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : आपका स्थगन प्रस्ताव अस्वीकृत है। यह मेरा विनिर्णय है।

श्री बसुदेव आचार्य : सरकार पियरलेस कम्पनी का राष्ट्रीयकरण क्यों नहीं कर रही है ?

उपाध्यक्ष महोदय : श्री आचार्य कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। आप अपनी बात कह चुके हैं, यह काफी है।